

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 256/2013  
संस्थित दिनांक-08/6/2011

इशरार खॉ, पुत्र-मोहम्मद सददीक खॉ,  
उम्र-43 साल, निवासी बकेंवर जिला  
इटवा उत्तरप्रदेश

-----अपीलार्थी/आरोपी

### वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म०प्र०) -----प्रत्यर्थी/अभियोगी

---

राज्य द्वारा श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक  
अपीलार्थी/आरोपी द्वारा श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता

---

न्यायालय-श्री सुशील कुमार, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक  
प्रकरण क्रमांक-697/2000 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक  
8/2/2011 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

---

### **-::- निर्णय -::-**

(आज दिनांक 25 जून, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/आरोपी इसरार की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री सुशील कुमार द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 697/2000 निर्णय दिनांक-08/2/2011 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-279 भा०दं०सं० में दो माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड एवं धारा-304 (ए) भा०दं०सं० में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि इस मामले में पूर्व में दिनांक-30/10/2007 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें आरोपी/अपीलार्थी को दोषी पाते हुए धारा-279, 337 एवं 304-ए भा०दं०सं० के अंतर्गत दोषी पाकर दण्डित किया गया था, जिसकी आपराधिक अपील क्रमांक-139/2007 के रूप में अपर सत्र न्यायालय, गोहद में की गयी, जिसमें 16/12/2009 का निर्णय पारित कर यह कहते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया कि जप्ती व गिरफ्तारी के संबंध में आरोपी का परीक्षण नहीं हुआ है । अतः उक्त बिन्दुओं पर आरोपी का परीक्षण किया जाकर

तत्पश्चात उसे बचाव का मौका देते हुए पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था । यह भी स्वीकृत है कि आरोपी/अपीलार्थी की गिरफ्तारी हुई और उससे ट्रक की जप्ती हुई, एवं आरोपी/अपीलार्थी पेशे से भारी वाहन का ड्रायवर है ।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-25/11/2000 की रात पुलिस थाना मालनपुर के आरक्षक केशव सिंह तथा प्रधान आरक्षक बालकिशन रोड पर गश्त कर रहे थे, रोड पर उन्हें अपना दोस्त महावीर जादौन मिला, जिसको मोटर सायकिल पर बिठाकर वे गश्त करते हुए भिण्ड ग्वालियर मैन रोड पर एम.पी. आयरन फ़ैक्ट्री के सामने पहुंचे तो पीछे से एक ट्रक को उसका ड्रायवर तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और उन तीनों में टक्कर मार दी, जिससे बालकिशन की मौके पर ही मृत्यु हो गयी एवं शेष दोनों को चोटें आयीं । उक्त सूचना पर से थाना मालनपुर के ए.एस.आई. आर.सी. कर्ण पहुंचे और उनके द्वारा घायल केशव सिंह के बताये अनुसार देहाती नालिसी लिखी और असल कायमी हेतु पुलिस थाना मालनपुर भेजी गयी । जिसपर से थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक-129/2000 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी । मृतक का शव परीक्षण कराया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर उसका ट्रक जप्त किया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ. सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-279, 337, 304-(ए) भा0दं0सं0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया । विचारणोपरांत अपीलार्थी को धारा-279 भा0दं0सं0 में दो माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड एवं धारा-304 (ए) भा0दं0सं0 में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।

5. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि प्रकरण के साक्षीगण केशव सिंह अ. सा.-1, आर.सी. कर्ण अ.सा.-3 एवं अ.सा.-6 महावीर ने अपने कथनों में जिस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय में कथन किए हैं, उनके परिशीलन से आरोपी/अपीलार्थी द्वारा उपेक्षापूर्ण वाहन चलाना कतई परिलक्षित नहीं होता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्बल साक्ष्य को सही मानकर अर्थदण्ड एवं दण्डाज्ञा आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी साक्षी ने चालक/अपीलार्थी की पहचान स्थापित नहीं की है और ना ही ट्रक मालिक का कथन न्यायालय में कराया गया है । इससे घटना के समय उक्त ट्रक कौन चला रहा था, प्रमाणित नहीं होता है । घटना के चार दिन बाद उक्त वाहन की जप्ती कर अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया, जो कि शंका को जन्म देता है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तर्क में व्यक्त किया गया था कि भिण्ड ग्वालियर मार्ग अत्यंत व्यस्त मार्ग है, जिसपर कुछ ही क्षणों में सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, यदि परीक्षित साक्षियों ने ट्रक देखा होता अथवा उसका नंबर नोट किया होता तो पुलिस के पास इतना तीव्र तंत्र है, जो निश्चित ही अपने विभागीय कर्मचारी की मृत्यु के दो चार घण्टे के अंदर ट्रक जप्त हो जाता। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आरोपी/अपीलार्थी की गिरफ्तारी व ट्रक की जप्ती किसी भी साक्षी द्वारा प्रमाणित नहीं है। इसी तथ्य पर प्रकरण पूर्व में रिमाण्ड किया गया था, फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर विचार ना कर दण्डाज्ञा आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है और महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को भी अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उसका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे।

7. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय ज्ञापन में बताये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप ही अपने मौखिक तर्क किए हैं, साथ ही विकल्प में यह निवेदन भी किया है कि मामला वर्ष 200 का होकर करीब 14 वर्ष पुराना है, अपीलार्थी करीब 14 साल से अभियोजन का सामना कर रहा है, आरोपी ड्रायवरी करके अपना व परिवार का भरण पोषण करता है, अतः उसे अर्थदण्ड पर छोड़ने का निवेदन भी किया गया है। जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कड़ा विरोध किया गया है कि वर्तमान में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को मध्य-नजर रहते हुए उसे विचाराधीन आरोप से उदारतापूर्वक नहीं छोड़ा जा सकता है और अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को उचित दण्डाज्ञा से दण्डित किया जावे।

8. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”
- 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

9. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया। मूल अभिलेख के अध्ययन करने से घटना में गश्त के लिए मोटरसाइकिल से जा रहे प्रधान आरक्षक

बालकिशन यादव, केशव सिंह आरक्षक और उनके मित्र महावीर तीनों का मोटरसायकिल पर जाते समय एम.पी. आयरन फ़ैक्ट्री के सामने ग्वालियर भिण्ड लोकमार्ग पर पीछे से ट्रक क्रमांक—यू.पी.—78 टी.—2795 के चालक द्वारा दुर्घटना कारित कर देना और उसमें घटनास्थल पर ही प्रधान आरक्षक बालकिशन यादव की मृत्यु होना मोटरसायकिल चले रहे आरक्षक केशव सिंह और पीछे बैठे महावीर को उपहति पहुंचाना बताया गया है, जिसका प्रमाण भार दाण्डिक विधि में सुस्थापित सिद्धांतों मुताबिक अभियोजन पर है और प्रकरण में यह देखना होगा कि क्या बालकिशन की चोटों के कारण मृत्यु दुर्घटना में हुई और उसमें ही केशव सिंह और महावीर को चोटें आयीं ? क्या, उक्त ट्रक से दुर्घटना घटी ? और उसे घटना के समय आरोपी/अपीलार्थी चला रहा था ? जिसकी किसी उपेक्षा या उतावलेपन का परिणाम दुर्घटना रही ।

10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु आलोच्य निर्णय मुताबिक प्रमाणित पाते हुए दोषसिद्धी कर दण्डित किया है और अपील ज्ञापन में जो आधार लिया गया है, उनके संबंध में भी यह निष्कर्ष निकालना होगा कि लिये गये आधार सदभावनापूर्ण और स्वीकार किए जाने योग्य है अथवा नहीं । क्योंकि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का किये गये विस्तृत तर्कों में मूलतः इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि आरोपी/अपीलार्थी को वाहन चलाते हुए किसी ने नहीं देखा और ना ही वाहन मालिक का कोई प्रमाणीकरण चालक के संबंध में पुलिस द्वारा लिया गया, ना ही वाहन स्वामी का कोई कथन कराया गया ।

11. परीक्षित साक्षियों में से डाक्टर एस.सी. गुप्ता अ.सा.—2 ने अपनी अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक—25/11/2000 को ही सी.एच.सी. गोहद में बी.एम.ओ. के पद पर रहते हुए आहत महावीर की चोटों का परीक्षण कर उसकी प्रदर्श पी.—2 की एम.एल.सी. रिपोर्ट, तैयार करना बताया है, जिसमें उसे पेट के दांयी ओर और दाहिनी कोहनी के पीछे और बांयी कलायी पर खरोंच पायी गयी थी, जो साधारण होकर 24 घण्टे की भीतर की बतायी गयी है और गिरने से आने की संभावना प्रतिपरीक्षा में सुझाव दिये जाने पर प्रकट की है, जिससे महावीर की चोट दुर्घटनात्मक स्वरूप की होना उक्त चिकित्सक की अभिसाक्ष्य से ही प्रमाणित हो जाता है ।

12. डॉक्टर ए.के. मुदगल द्वारा मृतक बालकिशन यादव के शव का परीक्षण कर उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.—9 भी उक्त दिनांक को ही एस.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर रहते हुए तैयार करना बताया है और उसके शरीर पर पायी सभी चोटें किसी दुर्घटना में आने की संभावना प्रकट की है, जो मृत्यु पूर्व की थीं और 12 घण्टे के भीतर की थी । मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदमें से बताया गया है, जिसके प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसे तथ्य नहीं आये जो कि उसकी अभिसाक्ष्य को खण्डित करता हो । इसलिये उक्त चिकित्सक के अभिसाक्ष्य से प्रधान आरक्षक बालकिशन यादव की मृत्यु दुर्घटनात्मक स्वरूप की होकर घटना दिनांक की ही प्रमाणित होती है । अन्य आहत आरक्षक केशव सिंह जिसने कि मोटरसाइकिल चलाना बताया है, वह अ.सा.—1 के रूप में परीक्षित हुआ

और उसने दुर्घटना में पैरों में मूंदी चोटें आना बताया है, जिसका मेडीकल परीक्षण नहीं हुआ, किन्तु उसके चोटिल होने के संबंध में उसके प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं है, बल्कि जो सुझाव दिये हैं, उसमें मोटर साइकिल पर सवार तीनों व्यक्ति बालकिशन, केशव और महावीर का गाड़ी फिसल जाने से अनियंत्रित होकर गिर जाना और उससे चोटें आने का सुझाव दिया है, जिससे उसे भी दुर्घटना में साधारण उपहतियां पहुंचना प्रकट होता है । साधारण उपहति के लिए विशेषज्ञ की साक्ष्य की आवश्यकता हर परिस्थिति में अनिवार्य नहीं है ।

13. प्रकरण में अब यह देखना होगा कि क्या दुर्घटना ट्रक क्रमांक-यू0पी0-78 टी0-2795 से ही घटी ? इस संबंध में अभिलेख पर घटना के महत्वपूर्ण साक्षी केशव सिंह अ.सा.-1 और महावीर सिंह अ.सा.-6 ही हैं । क्योंकि घटना रात के 1:15 बजे की है और लोकमार्ग ग्वालियर भिण्ड हाइवे पर है, ऐसे में उस समय अन्य स्वतंत्र साक्ष्य का उपलब्ध होना संभव नहीं है । इसलिये यह देखना होगा कि उक्त दोनों साक्षियों के अभिसाक्ष्य से घटना युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित होती है या नहीं ।

14. केशव सिंह भदौरिया अ.सा.-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में 24/11/2000 को थाना मालनपुर में आरक्षक के रूप में पदस्त रहते हुए रात्रि गश्त के दौरान प्रधान आरक्षक बालकिशन यादव के साथ होना और मोटर साइकिल से गश्त के लिए जाना बताया गया है । एम.पी. आयरन फैक्ट्री के पास बालकिशन के मित्र महावीर के मिल जाने पर उसे भी मोटरसाइकिल पर बैठा लेने पर और जाते समय एम.पी. आयरन फैक्ट्री के आगे पहुंचने पर पीछे से ट्रक क्रमांक-यू0पी0-78 टी0-2795 के द्वारा टक्कर मार देना बताया गया है, जिससे बालकिशन यादव की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी, उसे पैर में मूंदी चोटें और महावीर के पेट व अन्य जगह चोटें आयी थी । फिर थाने पर खबर हुई थी तो आर.सी. कर्ण दरोगा एवं प्रधान आरक्षक रमेश शर्मा मौके पर आये थे ।

15. मौके पर उसने प्रदर्श पी.-1 की देहाती नालिसी लिखायी थी, बाद में उसे ग्वालियर रिफर किया गया था, बाद में उसे दरोगाजी ने ट्रक ड्राइवर का नाम इशरार खां बताया था । मोटर साइकिल वह स्वयं चला रहा था और ट्रक का नंबर पीछे देखा था । टक्कर पीछे से मारी थी, इसलिये ड्राइवर को नहीं देख पाया था । आमने-सामने से टक्कर नहीं हुई । टक्कर लगने पर वे तीनों एक साथ गिरे थे और मोटर साइकिल बांयी ओर गिर गयी थी । इसी तरह का अभिसाक्ष्य महावीर अ.सा.-6 ने भी दिया है । महावीर ने इस बात से इंकार किया है कि जो ट्रक नंबर वह बता रहा है, वह ढावे पर खड़ा था और उसका ड्राइवर खाना खा रहा था और बालकिशन के दोस्त होने के आधार पर असत्य कथन से भी उसने इंकार किया । इस बात से भी इंकार किया कि ट्रक द्वारा टक्कर नहीं मारी गयी । मोटरसाइकिल पर तीन सवारी होने के संबंध में भी अ.सा.-6 ने पैरा-6 में स्पष्टीकरण दिया है कि वह पैदल-पैदल थाने से चौराहे पर आया था और बालकिशन दीवानजी गश्त के लिए जा रहे थे, उन्होंने साथ में बैठा लिया था । दुपहिया वाहन पर तीन सवारियों के संबंध में उसका कहना है कि

दुपहिया वाहन में तीन सवारियां नहीं बैठतीं हैं । स्वतः मते उसने कहा कि कभी बैठालना भी पड़ता है ।

16. घटना के विवेचक मौके की कार्यवाही करने वाले ए.एस.आई. आर.सी. कर्ण ने भी इसी तरह का अभिसाक्ष्य दिया है और यह स्पष्ट किया है कि वह मौके पर दुर्घटना के बाद पहुंचा था और उसने टक्कर मारते ट्रक ड्राइवर को नहं देखा । इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है और आर.सी. कर्ण का ट्रक ड्राइवर को देखना संभव ही नहीं है । आहत केशव अ.सा.-1 और महावीर अ.सा.-6 के द्वारा भी ड्राइवर को देखना स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है । क्योंकि टक्कर पीछे से मारी गयी और रात्रि में घटना घटी तथा मौके पर ट्रक वाला नहीं रुका और भगाकर ले गया । यह इस बात से भी स्पष्ट है कि प्रदर्श पी.-3 के जप्ती पत्रक द्वारा ट्रक की जप्ती आरोपी/अपीलार्थी से दिनांक-29/11/2000 को की गयी । अर्थात् घटना के चार दिन बाद है, वह पाना पुल के पास भिण्ड ग्वालियर रोड से हुई है और उक्त जप्ती को आरोपी/अपीलार्थी ने धारा-313 द.प्र.सं. के तहत हुए पुनःपरीक्षण में प्रश्न क्रमांक-1 में पूर्ण स्वीकारोक्ति की है और गिरफ्तारी को भी उसने स्वीकार किया है । जो प्रदर्श पी.-5 के द्वारा की गयी है ।

17. ऐसे में जब्ती, गिरफ्तारी के साक्षी प्रेमसिंह, रायसिंह, आरक्षक विश्वनाथ सिंह के अपरीक्षित रहने से कोई अभियोजन के विरुद्ध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है । क्योंकि साक्ष्य विधान की धारा-58 के मुताबिक स्वीकृत तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है और जप्ती, गिरफ्तारी के संबंध में विवेचक आर.सी.कर्ण अ.सा.-3 का भी स्पष्ट अभिसाक्ष्य है, जिससे उक्त दुर्घटना ट्रक क्रमांक-यू0पी0-78 टी0-2795 से ही घटित होना युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित होता है और इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में निकाले गये निष्कर्ष विधि संवत और तथ्यों पर आधारित होकर पुष्टि योग्य हैं ।

18. अब मूलतः यह देखना है कि क्या दुर्घटनाकारी उक्त ट्रक को दुर्घटना के समय आरोपी/अपीलार्थी ही उसका चालक था और उसकी उपेक्षा या उतावलेपन से दुर्घटना घटित हुई । अ.सा.-1 और अ.सा.-6 के प्रत्यक्ष अभिसाक्ष्य और ए.एस.आई. आर.सी. कर्ण जो मौके पर तत्पश्चात् पहुंचा, उसकी अभिसाक्ष्य से दुर्घटना, ट्रक द्वारा मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मारने के फलस्वरूप बतायी गयी है । इस संबंध में प्रदर्श पी.0-4 का नक्शा मौका महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें भी दुर्घटना इसी अनुरूप घटित होना दर्शायी गयी है ।

19. जहां तक बचाव पक्ष का यह तर्क है कि ट्रक पर दुर्घटना के कोई पहचान नहीं पाये गये । इस संबंध में भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का स्पष्ट निष्कर्ष आया है कि दुर्घटना पीछ से हुई और ऐसे में ट्रक पर क्षति के निशान संभव नहीं है, जो स्वाभाविक तथ्य है, क्योंकि ट्रक जैसा भारी वाहन यदि मोटरसाइकिल जैसे दुपहिया हल्के वाहन से टकराता है तो

उसमें हल्के वाहन में ही क्षति होती है और जब दुर्घटना पीछे से घटित हो तो ऐसे में तो और भी प्रबल संभवना हो जाती है कि क्षति हल्के वाहन में ही आयेगी, भारी वाहन में नहीं आयेगी । ऐसे में उक्त जप्तशुदा ट्रक में कोई क्षति नहीं पायी जाना अभियोजन कथानक को दूषित नहीं करता तथा जप्तशुदा वाहन में कोई तकनीकी खराबी नहीं पायी गयी, इस संबंध में अभिलेख पर तत्कालीन प्रधान आरक्षक एम.टी. शाखा पुलिस लाइन भिण्ड के प्रधान आरक्षक बलवंत सिंह अ.सा.—5 ने स्पष्ट अभिसाक्ष्य दिया है और प्रदर्शपी.—8 की तकनीकी जांच रिपोर्ट को प्रमाणित किया है, जिसकी प्रतिपरीक्षा में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आया है, जिससे दुर्घटना किसी तकनीकी कारण से घटित हुई हो ।

20. घटनास्थल के छायाचित्र मौके पर जाकर लिये जाना साक्षी दारा सिंह अ.सा.—4 ने बताया है, जिसके समक्ष मृतक बलाकिशन की लाश का सफीना फॉर्म प्रदर्श पी.—7 और लाश पंचायतनामा प्र.पी.—6 भी बनाया गया था, जिसके संबंध में विवेचक आर.सी. कर्ण अ.सए.—3 ने भी स्पष्ट अभिसाक्ष्य दिया है और जप्ती पत्रक स्वीकृत है, किन्तु बचाव पक्ष केद्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पाना पुल के पास जहां से ट्रक जप्त हुआ, वहां किस प्रयोजन से खड़ा था ?

21. जहां तक यह प्रश्न है कि क्या दुर्घटनाकारी ट्रक अपीलार्थी/आरोपी चला रहा था, और उसके द्वारा उपेक्षा या उतावलापन बरता गया, इस संबंध में अभिलेख पर जो प्रकरण की परिस्थितियां विद्यमान हैं, उनमें दुर्घटना ट्रक द्वारा मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मारकर की गयी और ऐसा तथ्य नहीं आया है कि जहां दुर्घटना घटित हुई वहां कोई व्यस्त ट्रेफिक (अधिक वाहनों का आवागमन) रहा हो । ऐसे में पीछे से ट्रक द्वारा टक्कर मारी जाना स्वमेव उसके चालक के उतावलेपन को प्रदर्शित करता है ।

22. बचाव पक्ष का मूलतः आधार कि आरोपी/अपीलार्थी के ट्रक चलाने के संबंध में साक्ष्य और प्रमाण नहीं है, इस बिन्दु पर अ.सा.—1 और अ.सा.—6 ने यह स्पष्ट अभिसाक्ष्य दी है कि उन्हें बाद में पता चला था कि ट्रक ड्राइवर इशरार खां था । केशव सिंह अ.सा.—1 ने स्पष्ट रूप से दरोगाजी द्वारा उक्त जानकारी पैरा—1 में बतायी है तथा महावीर अ.सा.—6 ने भी पैरा—1 में बतायी है, जिसका कोई खण्डन नहीं किया गया है । ऐसे में उक्त तथ्य अखण्डित है और अ.सा.—6 के पैरा—6 में यह सुझाव दिया गया कि ट्रक ढावे पर खड़ा था और ड्राइवर खाना खा रहा था, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कोई बचाव साक्ष्य अवसर लिये जाने के बाद भी नहीं दी। बल्कि घटना की रात्रि में दुर्घटनाकारी उक्त ट्रक और आरोपी/अपीलार्थी की तथाकथित इलाके में उपस्थित ही स्थापित होती है । ऐसे में ट्रक के वाहन स्वामी नरेन्द्र सिंह चौहान जिसने जप्तशुदा ट्रक सुपुर्दगी पर लिया था, उसके अपरीक्षित रहने से कोई अन्यथा निष्कर्ष अभियोजन के विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता है ।

23. हालांकि उसे परीक्षण कराये जाने के अभियोजन द्वारा प्रयास



किए, किन्तु वह ज्ञात नहीं हो सका, दिये गये पते पर वह तलाशने पर नहीं मिला । जहां तक प्रमाणीकरण का प्रश्न है घटना के विवेचक आर.सी. कर्ण ने पैरा-2 में दिनांक-29/11/2000 को नरेन्द्र सिंह का कथन लेखबद्ध करना बताया है, उसे भी प्रतिपरीक्षा में सुझाव देकर चुनौती नहीं दी गयी और नरेन्द्र सिंह ही ट्रक का वाहन स्वामी है । ना ही उसे बचाव में पेश किया गया, जो बचाव के लिये गये आधारों का समर्थन करता । हालांकि प्रमाण भार अभियोजन पर है, परंतु जिस तरह की साक्ष्य आयी है उससे अभियोजन अपने प्रमाण भार को पूर्ण करने में सफल है और वाहन मालिक के कथन या प्रमाणीकरण के अभाव में यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी/आरोपी द्वारा दुर्घटना कारित नहीं की गयी और चालक के संबंध में जिस तरह की साक्षी अ.सा.-1 और अ.सा.-6 की आयी है, वह विश्वास किए जाने योग्य है और आहत और मृतक पुलिसकर्मी होकर रात्रि गश्त में थे, जिससे उनकी घटनास्थल पर दुर्घटना के समय विद्यमानता भी स्थापित है । क्योंकि जिस फैक्टरी के सामने रोड पर दुर्घटना घटित हुई है, वह थाना मालनपुर के अंतर्गत ही आती है । जिसका न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है और वह तथ्य चुनौतीपूर्ण भी नहीं है । जिससे यह युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित होता है कि आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा ही दिनांक-25/11/2000 को रात करीब 1:15 बजे एम.पी. आयरन फैक्टरी के सामने ग्वालियर भिण्ड लोकमार्ग पर केशव सिंह की मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मारी, जिससे हुई दुर्घटना में प्रधान आरक्षक बालकिशन यादव की मौके पर मृत्यु हुई और मोटरसाइकिल पर बैठे केशव सिंह और महावीर को चोटें आयी ।

24. बचाव पक्ष का यह तर्क कि मोटरसाइकिल पर तीन सवारियां थीं, जो विधि विरुद्ध हैं । इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है । तीन सवारियों का होना मोटरयान अधिनियम की धारा-1988 का उल्लंघन अवश्य है, किन्तु उसके आधार पर मोटरसाइकिल चालक के संबंध में कार्यवाही पुलिस कर सकती है, किन्तु उसके आधार पर अपीलार्थी/आरोपी अपने कर्तव्य से नहीं बच सकता है । क्योंकि किसी भी तरह से उक्त प्रमाणित दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक की वाहन चालक के संबंध में अंशदायी उपेक्षा स्थापित नहीं होती है । इसलिये इस बिन्दु का अपीलार्थी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है, इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष पुष्टि योग्य है ।

25. मृतक और आहत बालकिशन व केशव सिंह पुलिस गश्त प थे, इस बात को चुनौती नहीं दी गयी है । इन परिस्थितियों में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी की धारा-279, 337, 304-ए भा0दं0सं0 में की गयी दोषसिद्धी विधि एवं तथ्यों पर आधारित होकर पुष्टि योग्य होने से दोषसिद्धी के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन पायी जाकर निरस्त की जाती है ।

26. जहां तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में जब प्रथम बार विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया था, उसमें 6 माह का साधारण कारावास और 200 रुपये



अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था और आलोच्य निर्णय में 01 वर्ष के सश्रम कारावास और चार हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जो कठोर है, क्योंकि मामला 14 साल पुराना है और विचारण का सामना करते हुए भी अपीलार्थी ने शारीरिक, मानसिक कष्ट उठाये हैं, इसलिये उसके केवल जुर्माना से दण्डित कर या अपराधी परीवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर छोड़ दिया जावे । जिसका विद्वान ए.जी.पी. ने कड़ा विरोध किया है कि दुर्घटना में एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है और दो आहत हुए हैं और वे भी शासकीय सेवक होकर ड्यूटी पर थे, इसलिये कड़ा दण्ड उचित है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के दण्डादेश की पुष्टि की जावे ।

27. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर विचार किया गया, अभिलेख का परिशीलन किया गया । प्रकरण की परिस्थितियों पर मनन किया । यह सही है कि अभिलेख पर आरोपी/अपीलार्थी के पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है, जिससे उसके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि अवश्य होती है, किन्तु केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना या अपराधी परीवीक्षा का लाभ दिया जाना बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं और उससे होने वाली अकाल मौतों के ग्राफ को देखते हुए कतई उचित व न्यायसंगत नहीं होगा और ऐसे मामलों में परीवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **दलवीर सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा 2002 किमिनल लॉ जनरल एस.सी. पेज-2283** में स्पष्ट मार्गदर्शन किया है कि धारा-304 (ए) भा0दं0सं0 के अपराध के प्रमाणित होने पर अपराधी को परीवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ नहीं दिया जाना चाहिये । जो इस मामले में भी उचित परिस्थितियों में लागू होती है, इसलिये अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता की दण्डाज्ञा के बिन्दु पर की गयी प्रार्थना सद्भावी नहीं मानी जा सकती है एवं आरोपी/अपीलार्थी अपराधी परीवीक्षा अधिनियम का लाभ पाने की पात्रता नहीं रखता है ।

28. जहां तक धारा-71 भा0दं0सं0 के प्रावधान का अनुसरण करते हुए धारा-337 भा0दं0सं0 में दोषसिद्धि ना कर केवल धारा-279 भा0दं0सं0 में **दो माह** का सश्रम कारावास और **पांच सौ रुपये** अर्थदण्ड से दण्डित किया है, वह कठोर दण्डादेश न होने से उसकी यथावत् पुष्टि की जाती है । जहां तक धारा-304-ए भा0दं0सं0 में दिये गये **एक वर्ष** का सश्रम कारावास का प्रश्न है, मामला करीब 14 साल पुराना है और प्रथम निर्णय दिनांक 30/11/07 जिसका कोई अस्तित्व शेष नहीं है, उसमें छः माह कारावास दिया गया था उसे आधार नहीं बनाया जा सकता । लेकिन लंबे चले अभियोजन को देखते हुए और प्रथम अपराधी होने को दृष्टिगत रखते हुए **06 माह (छः माह)** के सश्रम कारावास एवं **चार हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित व न्यायसंगत होगा और उससे विधि की मंशा भी पूर्ण होती है ।

29. फलतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर प्रस्तुत दांडिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर धारा-279 भा0दं0सं0 में दिये गये दण्डादेश **दो माह का सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपये अर्थदण्ड** को यथावत् रखते हुए उक्त धारा के संबंध में अपील निरस्त की

जाती है एवं धारा-304-ए भा0दं0सं0 के अपराध के लिए आरोपी/अपीलार्थी को छः माह का सश्रम कारावास और चार हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, जिसमें पूर्व जमा अर्थदण्ड समायोजित हो । व्यतिक्रम की दशा में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का दिया गया अतिरिक्त कारावास यथावत रहेगा । उक्त दोनों सजायें आरोपी/अपीलार्थी को एक साथ भुगतायी जावें ।

30. आरोपी के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं, उसे न्यायिक निरोध में लिया जाकर सुपरसेशन वारण्ट तैयार कर दण्डाज्ञा भुगतने के लिए जेल भेजा जावे । जिसके साथ धारा-428 जा.फौ. का प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे ।

31. जप्तशुदा ट्रक पूर्व से सुपुर्दगी पर होने से उनके संबंध में भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है ।

32. अपीलार्थी/आरोपी को निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रदान की जावे ।

दिनांक: 25 जून 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

सही / —  
(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

सही / —  
(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड